बीस रुपये TWENTY RUPEES बीस रुपये TWENTY RUPEES

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, इन्दौर केम्प

(70)

निगरानी प्रकरण क्रमांक निगरानी-4926/2018/खरगोन/भू.रा. / पी.बी.आर. / 17

1 रामकरण पिता गेंदालाल कुशवाह

2 शिवनारायण पिता गेंदालाल कुशवाह

3 कन्हैयालाल पिता गेंदालाल कुशवाह

4 पंचानन पिता गेंदालाल कुशवाह

5 सुमनाबाई पिता गेंदालाल कुशवाह

6 सकुबाई पिता गेंदालाल कुशवाह

7 सीमाबाई पति शिवनारायण

8 सीमाबाई पति कन्हैयालाल

9 लक्ष्मीबाई पति पंचानन

10 कलाबाई पति रामकरण

सभी निवासी :– ग्राम मेंनगॉव ,तहसील खरगोन

.. निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1 प्रेमचन्द्र पिता किशन साठे

2 सन्तोप पिता प्रेमचन्द्र साठे

3 गुलाब चन्द्र पिता किशन साठे

4 गंगाधर पिता शंकर जोशी

5 रामु पिता गोपाल वर्मा

6 जगदीश पिता गोपाल वर्मा

7 दिनेश पिता कैलाश

8 विनोद पिता गोपाल वर्मा

सभी निवासी :–ग्राम मेनगॉव ,तहसील खरगोन ..... प्रत्यर्थीगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भु–राजस्व संहिता के तहत

निगरानीकर्ता तर्फे सादर निवेदन है कि :–

यह कि, श्रीमान कलेक्टर महोदय, खरगोन द्वारा प्रकरण क. 3/अ–74/2017–18 मे पारित आदेश दिनांक 1/5/18 के विरूध प्रस्तुत है जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को सिमांकन की सुचना दिये बगैर ही सिमांकन कर ,निगरानीकर्ता की भुमि पर नवीन रास्ता बनाने संबंधी आदेश प्रदान कर दिया है ,उसे उचित बताया है ।

निगरानीकर्तागण द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय खरगोन द्वारा रास्ते के विवाद मे विधि विपरित तरिके से, सिमांकन का प्रकरण दर्ज किये बगैर , मात्र मंत्री महोदय को संबोधित रास्ते कि शिकायत के आवेदन पत्र से ,अपने कलेक्टर कार्यालय ,जिला खरगोन के आदेश कमांक./1349/भु अभि–8/17 दिनांक 27/7/17 से किसी भुमि का हवाला दिये बगैर सिमांकन का आदेश दिया गया ,जिसके प्रकाश मे सिमांकन दल द्वारा दिनांक 13/9/17 को निगरानीकर्ता और अन्य पडोसी भुमिस्वामीयो को सिमांकन कि सुचना दिये बगैर उनकी अनुपस्थिती मे सिमाकंन कि कार्यवाही कर दिनांक 19/9/17 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निगरानीकर्ता और उनके परिवार वालो की भुमि को कम कर शासकिय भुमि बताते हुए ,प्रत्यार्थीगण को नवीन रास्ता दिला दिया है ।

जिसने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित निगरानीकर्ता को सुनवाई का मौका दिए बगैर उसकी अनुपस्थिती मे विवादित सीमांकन की कार्यवाही कर दी गई,जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 1/5/18 के आदेश मे उचित बताया है ।

अतः ऐसा आदेश प्रवर्त रहता है तो निगरानीकर्ता को अपरिमित हानि होगी व न्याय की विफलता होगी व निगरानीकर्ता को अपूर्णीय क्षति होगी।

(रामकरण / प्रेमचन्द)

R-4926/2018/खरगौन/भू०रा०

20-11-2018	आवेदक की ओर से श्री मुकेश नारे, अभिभावक उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस करने का अनुरोध किया गया। आवेदक अभिभावक के निवेदन पर प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस किया जाता है। अध्यक्ष रीडर	